UPJB040221872024

Presented on : 27-11-2024
Registered on : 28-11-2024
Decided on : 25-02-2025
Duration : 0 years, 2 months, 28 days

IN THE COURT OF
ADDITIONAL CIVIL JUDGE (JUNIOR DIVISION) / JM - 4
AT ,Amroha
(Presided Over by SRI ABHISHEK KUMAR-IV)
Final Report/959/2024

वाद संख्या 75/2023 अपराध संख्या–334/2023
थाना–अमरोहा नगर धारा–379, भा0दं0सं0
एफ.आर.–परिवादी शबाब अहमद

25.02.2025:–

पत्रावली पेश हुई। वादी मुकदमा अनुपस्थित।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि उपरोक्त मामले में विवेचना उपरांत संबंधित विवेचक द्वारा अन्तिम आख्या प्रेषित की गयी हैं।

वादी मुकदमा शबाब अहमद को नोटिस प्रेषित किये गये। तामील करायी गयी। तामीला बजात खास अमल में लायी गयी। उसके पश्चात भी वादी मुकदमा द्वारा न्यालालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष, अंतिम आख्या के संबंध में प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वादी मुकदमा प्रस्तुत वाद को चलाये जाने में रूचि नहीं रखता हैं।

माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था चितरंजन निरधा बनाम दुलाल घोष आदि एस.सी. सी. 2009 में यह विधिक मत प्रकट किया गया है कि जहां पर अभियुक्त के विरूद्व कार्यवाही अग्रसारित करने का पर्याप्त साक्ष्य पुलिस रिपोर्ट में नहीं है, वहां अंतिम आख्या स्वीकार की जा सकती है एवं कार्यवाही ड्राप की जा सकती हैं। यह भी मत प्रतिपादित किया गया है कि विवेचना द्वारा एकत्रित की गयी साक्ष्य भी सर्वोत्तम होती हैं।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जारी पत्र संख्या 29811/FTC Cell /Allahabad, Dated 01.03.2013 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अंतिम आख्या के निस्तारण पर बल देते हुए न्यायालय में लंबित अंतिम आख्या को वरीयता के आधार पर शीघ्रता से निस्तारित किये जाने का निर्देश दिया गया हैं।

अतः माननीय उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त विधि व्यवस्था एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जारी परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में एवं मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, विवेचक द्वारा प्रेषित अंतिम आख्या तथ्यों पर आधारित हैं, अंतिम आख्या स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

आदेश

अपराध संख्या 334/2023 अंतर्गत धारा–379, भा0दं0सं0 थाना–अमरोहा नगर जिला–अमरोहा के मामले में विवेचक द्वारा प्रेषित अन्तिम आख्या संख्या 104/2023 दिनांक 01.08.2023 स्वीकार की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफतर हो।

एस0डी0
(अभिषेक कुमार चतुर्थ)
अपर सिविल जज(जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं04
जनपद अमरोहा।